

भारतीय उपचर्या परिषद्

आठवीं तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्युनिटी
सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली - 110020



INDIAN NURSING COUNCIL

8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase-I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

File No. 1-6/02/Nov 2017-INC

Dated:- 11-11-2017

To

1. The Principal Secretary,

Deptt. Of Health, Medical & F. W.,
Govt. Of Uttar Pradesh, Lucknow-
226001. Uttar Pradesh.

2. The Registrar,

Uttar Pradesh Nurses & Midwives
Council 5-Servapalli, Mall Avenue
Road Lucknow- 226001 Uttar
Pradesh.

Subject: Inspection of G C R G College Of Nursing , Village - Parvatpur Post -
Indaurabagh Chandrika Devi Road, Bakshi Ka Talab Lucknow 227202
under section 13 & 14 of INC Act 1947 -reg.

Sir/Madam,

The Indian Nursing Council conducted inspection by physical verification of the above
said institution for Suitability under section 13 & 14 of INC Act 1947 of following
programmes.

School Code	Program Name	Date Of Inspection	Status	Seats
3103123	B. Sc (N)	25-26 Oct 2017	Suitable With Condition	40 (Forty)

The above is permitted for 2017-2018 academic year with the above given seats subject to the condition:-

1. It is to be noted that the above permission is granted to run the above programmes for the academic year 2017-2018 subject to the rectification of deficiencies found in the said programme of inspection conducted on above dates. A copy of the deficiencies found with regard to the institution shall be sent later on.

नर्सिंग शिक्षा के समान स्तर को प्राप्त करने का प्रयास
Striving to achieve uniform standards of Nursing Education

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in
Phone: 011-26819157, 26819159, 26819160

भारतीय उपचर्या परिषद्

आठवीं तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी
सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली - 110020



INDIAN NURSING COUNCIL

8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase-I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

2. Institution is directed to rectify the deficiencies pointed out in the inspection report within a period of six months under intimation to the Indian Nursing Council.
3. The Indian Nursing Council would conduct surprise inspection thereof to ascertain as to whether the deficiencies pointed out have been rectified or not.
4. It is to be noted that the above suitability/permission is granted subject to the institution getting the approval of State Nursing Council and University/Board.

Your faithfully,

(Ranjeet Kaur)
Secretary

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Principal

G C R G College Of Nursing , Village -
Parvatpur Post - Indaurabagh Chandrika
Devi Road, Bakshi Ka Talab Lucknow
227202.

2. The Director of Medical & Health Services,

Uttar Pradesh, Lucknow.

3. The Registrar,

Dr. Ram Manohar Lohia Awadh
University, Faizabad Uttar Pradesh.

4. Indian Nursing Council Guard File.

नर्सिंग शिक्षा के समान स्तर को प्राप्त करने का प्रयास
Striving to achieve uniform standards of Nursing Education

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in
Phone: 011-26819157, 26819159, 26819160



डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०अ०वि०/सम्ब०/2018/6242

दिनांक : 27/2/2018

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 30-01-2018 के अनुपालन में जी०सी०आर०जी० कालेज आफ नर्सिंग, पर्वतपुर, इन्दौराबाग, चन्द्रिका देवी रोड, बक्शी का तालाब, लखनऊ को बी०एस-सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम में 40 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2017-18 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. संस्था इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के प्राविधान के अनुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा उनकी निरन्तरता सुनिश्चित करेगी।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा नर्सिंग कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल/स्टेट मेडिकल फैकल्टी व शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था द्वारा इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० एवं सचिव स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा विश्वविद्यालय को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था द्वारा प्रवेशित छात्र/छात्राओं की परीक्षा आई०एन०सी० रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
4. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
5. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
8. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
9. मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
10. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
11. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011, दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी। संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।
12. संस्था/महाविद्यालय अनिवार्य रूप से AISHE की वेबसाइट पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, जी०सी०आर०जी० कालेज आफ नर्सिंग, पर्वतपुर, इन्दौराबाग, चन्द्रिका देवी रोड, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
4. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
5. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग-इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।

(संजय कुमार)
कुलसचिव